फर्द अहकाम

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान ..... बनाम .....

मुकदमा संख्या– अस्थाई निषेधाज्ञा– 88/2016 2022

29/8/2022	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। इस पत्रावली में वादी द्वारा विवादग्रस्त भूमि खसरा नं0 522/2 रकबा 18 बीघा 05 बिस्वा ग्राम कालवाड तहसील व जिला जयपुर का सहखातेदारों के मध्य तकासमा करने का अनुतोष चाहा गया है। प्राप्त तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार खसरा नं0 522/2 का कोई भी भाग कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त नहीं है। उक्त भूमि पर प्लॉट कट चुके है, कुछ प्लॉटों की चार दीवारी भी बनी हुई है व ग्रेवल/डामर सडक बनी हुई है। अतः न्यायालय यह पाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार भूमि की परिभाषा में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि ही आती है। अतः सेक्शन 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कृषि भूमि का ही विभाजन किया जा सकता है। परन्तु तहसीलदार रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि का कोई भी भाग कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में खसरा नं0 522/2 ग्राम कालवाड का तकासमा सेक्शन 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार संभव नहीं है। अतः यह वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 29/8/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अरशदीप बरार (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम Signature Not Verified Digitally signed by Arshdeep Brar Date: 2022.09.09 15:56:38 IST Reason: SelfAttested